

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फ़ैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic

पत्रांक : BRLPS/LSBA/PWJ/84/18/820

दिनांक : 06/11/19

प्रेषक,

राजीव कुमार सिंह बि०प्र०से०,
प्रशासी पदाधिकारी-सह-राज्य समन्वयक ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार

विषय :- लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अन्तर्गत जिलों के विभिन्न सरकारी विद्यालयों/ आँगनवाड़ी केन्द्रों में निर्मित शौचालयों के जिओ-टैगिंग करने के संबंध में।

महाशय/ महाशया,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि विद्यालयों/आँगनवाड़ी केन्द्रों में आवश्यकतानुसार शौचालयों के निर्माण/ अकार्यरत शौचालयों को कार्यरत करने/जल की सुविधा उपलब्ध कराने के कार्य हेतु 31 (इकतीस) जिलों को लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अन्तर्गत राशि उपलब्ध करायी गई थी, जिसमें शौचालय के निर्माणोपरांत जिओ-टैगिंग किया जाना था।

अतः उक्त के आलोक में उपयोगकर्ता पुस्तिका के साथ NARSS APP जिला जल एवं स्वच्छता समिति को भेजा जा रहा है ।

अनुलग्नक:- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(राजीव कुमार सिंह)

जापंक: BRLPS/LSBA/PWJ/84/18/820

दिनांक : 06/11/19

प्रतिलिपि: सभी जिला समन्वयक एवं जिला सलाहकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: सभी निदेशक-सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।

(राजीव कुमार सिंह)

प्रतिलिपि: लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के वेबसाइट पर अपडेशन हेतु ।

इस App के माध्यम से NARSS Fund के द्वारा विद्यालय तथा आँगनवाड़ी में बनाए गए शौचालय का जिओ-टैगिंग किया जा सकता है।

NARSS APP:- LSBA :-

नया यूजर बनाने एवं जिओ-टैगिंग करने के लिए :-

- ❖ यूजर को LSBA-NARSS Mobile App डाउनलोड करने के लिए ब्राउजर (Browser) में mis.brllps.in type करना है, उसके बाद Mobile App विकल्प को चुनने के उपरांत LSBA-NARSS App को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में Install करना है।

- ❖ यूजर APP को डाउनलोड करने के बाद स्वयं अपना पंजीकरण (Registration) कर सकते हैं।

पंजीकरण करते समय यूजर द्वारा :-

- I. अगर प्रखण्ड स्तर का है तो प्रखण्ड, जिला स्तर का है तो जिला चूना जाएगा।
- II. उसके बाद यूजर के द्वारा संबंधित अपना प्रखण्ड चूना जाएगा।
- III. उसके बाद यूजर को अपना मोबाइल नम्बर, नाम और पासवर्ड भरने के उपरांत सबमिट किया जाएगा।
- IV. पंजीकरण करने के बाद प्रखण्ड स्तर के यूजर को जिला तथा जिला स्तर के यूजर को राज्य कार्यालय द्वारा अनुमोदनोपरांत वैध होगा। तथा उसके बाद ही यूजर के द्वारा App Login किया जा सकता है।
- V. Login करने के उपरांत यूजर को पंचायत का चूनाव किया जाएगा- (यूजर के द्वारा जिस प्रखण्ड में अपना पंजीकरण किया गया होगा यूजर को उसी प्रखण्ड का पंचायत दिखाई देगा)
- VI. गाँव के नाम में (Village Name) - यूजर के द्वारा खूद से (Manually) गाँव का नाम भरा जाएगा।
- VII. उसके बाद यूजर के द्वारा स्कूल का नाम/ आँगनवाड़ी का नाम खूद से (Manually) भरा जाएगा।
- VIII. यूजर के द्वारा तीन अलग-अलग कोण (Angle) से शौचालय का फोटोग्राफ्स लेते हुए Submit किया जाएगा।
(जिओ-टैगिंग करते समय शौचालय के सामने उस स्कूल के प्रधानाध्यापक या कोई शिक्षक / आँगनवाड़ी सेविका को खड़ा करना अनिवार्य है।)
- IX. यूजर के द्वारा जिओ-टैगिंग करने के उपरांत जिला स्तर से जिला समन्वयक / जिला सलाहकार के द्वारा नियमानुकूल फोटोग्राफ्स को अनुमोदित किया जाएगा।
- X. जिला के द्वारा जिओ-टैगिंग फोटोग्राफ्स एक बार अनुमोदन करने के बाद दूबारा अननुमोदित नहीं किया जा सकता है।

